न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट/पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा, डूंगरपुर

प्रार्थी श्री जगदीश पिता [illegible] मीणा नि० [illegible]

अप्रार्थी श्री [illegible] पिता [illegible] मीणा नि० [illegible]

किस्म मुकदमा 39 कलम 1-2 जप्ती 151

पत्रावली संख्या: 24/2019 (2019/[illegible])

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 27/2/2020 पत्रावली पेश हुई। पक्षकार [illegible] उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया पश्चात पत्रावली में सुनी गई। प्रार्थी के प्रार्थना के आधार निवेदन किया गया है कि मौजा [illegible] के खाता सं. 26 के खसरा नम्बर 369/10 कुल क्षेत्रफल 1 बीघा कुल रकबा 8 बीघा किसान में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा [illegible] कर रहे थे [illegible] निर्माण को [illegible] दिया गया [illegible] निर्माण को इकट्ठा कर प्रार्थी। [illegible] के [illegible] में [illegible] मकान [illegible] नहीं करे। इस बात के लिये अप्रार्थीगण के खिलाफ उपधारा [illegible] के तहत [illegible] किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में [illegible] मूल कार्य के 1.1 में रोकने का [illegible] यथा स्थिति बनाये रखने आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली [illegible] में [illegible] होकर [illegible] के कम होकर [illegible] रहा है।	

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.06 14:19:21 IST
Reason: SelfAttested